

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 20/2015

भाला पुत्र श्री हरजी जी गूर्जर जाति गूर्जर निवासी ग्राम शिखरानी तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू पुत्र श्री लादू रेगर
2. रामगोपाल पुत्र श्री लादू रेगर
3. श्रीकिशन पुत्र श्री लादू रेगर
सभी जाति रेगर एवं निवासीगण शिखरानी, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजयनगर।

— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

:- निर्णय :-

दिनांक 20.06.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा शिखरानी द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न० 3047 रकबा 04-15-00 व 3048 रकबा 02-15-00 कुल किता 2 रकबा 07-10-00 में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसमें जेटू पुत्र हमीरा का जमाबंदी अनुसार हिस्सा कायम है। इस अराजी में प्रार्थी अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आता है लेकिन उसकी सीमा को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी ने उसका सीमाज्ञान भी करवाया लेकिन पडौसी अप्रार्थीगण संतुष्ट नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण पर नोटिस जारी किये गये। उनके विरुद्ध बावजूद तामिली नोटिस के अनुपस्थित रहने से दिनांक 05.02.2016 को एक तरफा कार्यवाही की गई। आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प शिखरानी पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं० 1 व 3 उपस्थित। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित अराजी में सहखातेदार जेटू के साथ खातेदार दर्ज है। अतः वह अपनी अराजी की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बिजयनगर को रु. 1500/- कमीशन पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम शिखरानी स्थित अराजी खसरा न० 3047 व 3048 का नियमानुसार मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करावें।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम शिखरानी पर मजमें आम में सुनाया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

